संख्या-10/2021/ 192/क0नि0प्र0/26-3-2021-13(61)/2013

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 04 मार्च,2021

समाज कल्याण विभाग

विषयः अनूसूचित जाति सब प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-23/2020/306/क.नि.प्र./26-3-2021-13(61)/2013 दिनांक 22 मई,2020 एवं शासनादेश संख्या-6/2021/95/क.नि.प्र./26-3-2021-13(61)/2013 दिनांक 27 जनवरी,2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुसूचित जाति सब प्लान (एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु रू0 16009.00 लाख (रू0 एक अरब साठ करोड़ नौ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखत शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा आहरित कर मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/उपभोग की सूचना यथा समय कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- भारत सरकार द्वारा गत वर्षो में प्राप्त केन्द्रांश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैधानिक(रिवेलिडेट) किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञापसंख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 2500.00 लाख की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष तथा रू0 13509.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक की अवशेष लंबित देयता के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार व्यय की जायेगी।

5- प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों /व्यवस्थाओं के अधीन ही आहरित/व्यय की जायेगी।

6- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

7- प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता। अत: बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8- प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइडलाइन्स (3.1) के अनुसार बी0पी0एल0 के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय की जायेगी।

9- वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ताकि इन गांवों में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त हो सके।

12- उपर्युक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजना-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-207/दस/ 2020 दिनांक 03 मार्च,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ.सं.10/2021/192(1)/क.नि.प्र./26- 3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव,व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर, लखनऊ।

7- मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन,अलीगंज,लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ.प्र.लखनऊ।

9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।

10-एन.आई.सी.की प्रति।

11-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।

12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।